न्यायायालय विशेष क्षेत्राधिकार गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–6 कासगंज

उपस्थित– एकता कुशवाहा...एच0जे0एस0

फौजदारी प्रकीर्ण संख्या–364/2022

(CNRN0.UPKR010041152022)
(J.O.Code No.- UP 1578)

राज्य बनाम **निरीक्षक विनोद कुमार**
धारा–345 दण्ड प्रक्रिया संहिता
थाना–सिकन्दरपुर वैश्य, जिला–कासगंज
अपराध संख्या– 158/2019
जी0एस0टी0 संख्या–291/2020

12.11.2022

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **विपक्षी निरीक्षक विनोद कुमार** द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि नियत तिथि को अपने पिताजी के इलाज एवं सेवा हेतु अवकाश पर होने एवं उसके पिताजी का देहान्त हो जाने के कारण वह साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हो सका। अतः याचना की गयी कि उसे मॉफ करते हुए उसके वाद का निस्तारण किया जाए।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि विपक्षी द्वारा उपरोक्त पत्रावली में विपक्षी/साक्षी द्वारा अपना साक्ष्य अंकित करा दिया है तथा पूर्व में साक्ष्य हेतु उपस्थित न आने का उसके द्वारा संतोष जनक कारण दर्शाया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में विपक्षी के विरूद्ध दर्ज प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत धारा 345 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी/साक्षी निरीक्षक विनोद कुमार के विरूद्ध प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत धारा 345 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(एकता कुशवाहा)
दिनांकः–12.11.2022 **विशेष क्षेत्राधिकार गैंगेस्टर एक्ट/**
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–6 कासगंज

Digitally signed by EKTA KUSHWAHA
Date: 2022.11.12 13:41:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court